

न्यायिक आदि मान् राक्षस महोदय राजस्व मण्डल न्यायिक आदि सचिव कोट रोडा

जिला रोडा म०प्र०

R5300-II/16

निराकारी प्रकरण क्रमांक 1/2016

510

300

निराकृत / विलोपित निराकृत / विलोपित

Rs. 30/-

स्थापना सुभाष सोनी पिता हुस्सेन सोनी वार्ड क्रमांक 13 सोनारनडोला
व्योहार, तहसील व्योहार, जिला सहाडोल म०प्र० --- निराकारीका

नाम

सुनीलकुमार निराकृत स्व० श्री रामनका मित्रा वार्ड क्रमांक 12 व्योहार
थाना व तहसील व्योहार, जिला सहाडोल म०प्र० --- निराकारीका

2- शासन म०प्र०

संजय निराकृत
05-7-16
[Signature]

निराकारी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० पुराजस्त
संविधान 1959 के

विरुद्ध आवेद श्री मान् राजस्व निरीक्षक महोदय

व्योहारी, जिला सहाडोलके रा०प्र० क्र० 12 अ/ 15-16

में पारित आवेद दिनांक 10-1-16।

मान्यवर

आवेदक निराकार का विनम्र निवेदन निम्न है:-

1- यह कि जिला न्यायिक न्यायालय द्वारा पारित आवेद विधि
एवम प्रक्रिया के विरुद्ध होने के कारण काबिल निरस्तगी के है।

2- यह कि निराकारीका हदम उत्कर्ष के नो पुनना निराकृतवारी

हदका व्योहारी क आ० क्र० 1000/ 1/ 1 के रा०प्र०-142 क्र० 100/ 1



2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक -निग.-5300-दो/2016

जिला- शहडोल

संतोष कुमार सोनी विरुद्ध सुनील कुमार मिश्रा व म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-01-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री संजय तिवारी उपस्थित ।</p> <p>3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक व्योहारी, जिला- शहडोल के प्रकरण क्रमांक 12/अ-12/2015-16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 10-01-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी ।</p> <p>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये हैं ।</p> <p>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 25-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।</p>	

(आर.के.जेन्)
सदस्य

22/01/19